रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 1998/वैशाख 15, 1920

No. 104] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 1998/VAISAKHA 15, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

जांच शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 1998

विषय :—यू.के. तथा फ्रांस से टाइप सैटिंग पेपर के अलावा काले तथा सफेद रेजिन कोटिड फोटोग्राफिक पेपर के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना ।

25/1/97-ए. डी. डी.—मैसर्स न्यू इंडिया इंडस्ट्रीज लि. ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान तथा उस पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा जाएगा) के पास घरेलू उद्योग की ओर से एक याचिका दायर की है जिसमें यू.के. एवं फ्रांस (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा जाएगा) से टाइप सैटिंग पेपर के अलावा काले तथा सफेद रेजिन कोटिड फोटोग्राफिक पेपर के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

2. **घरेलू उद्योग की स्थिति :**—याचिका मै. न्यू इंडिया इंडस्ट्रीज लि. की ओर से दायर की गई है, जिसका पंजीकृत कार्यालय जेटलपुर रोड़, पोस्ट बॉक्स सं. 2511, सायाजी गंज, बड़ौदा-390005 में है । याचिकाकर्त्ता का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 82% बनता है । अत: याचिकाकर्त्ता घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की स्थिति में है ।

3. **शामिल उत्पाद :**—याचिका में शामिल उत्पाद उक्त देशों के मूल के या वहां से निर्यातित टाइप सैटिंग पेपर के अलावा काला एवं सफेद रेजिन कोटिड फोटोग्राफिक पेपर है (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) जो कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 3703.10 तथा 3703.90 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है तथा मौजूदा जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

4. **समान वस्तुएँ :**—याचिकाकर्त्ता ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा उक्त देशों से निर्यातित वस्तु का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है तथा इसलिए नियमों के अर्थ के अंदर उक्त देशों से आयातित वस्तु को समान वस्तु माना जा सकता है ।

5. **सामान्य मूल्य :—**

(क) यू.के. : याचिकाकर्त्ता ने उपलब्ध मूल्य सूची के अनुसार संबद्ध वस्तु के स्थानीय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

(ख) फ्रांस : याचिकाकर्त्ता ने यू.के. के संबंध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर उसी सामान्य मूल्य का दावा किया है क्योंकि दोनों देश यूरोपीय संघ के अंग हैं ।

6. **निर्यात मूल्य :**—याचिकाकर्त्ता ने निर्यातक के बीजक के आधार पर निर्यात मूल्य का दावा किया है ।

7. **डम्पिंग मार्जिन :**—इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी अधिक है, जिस कीमत पर भारत को इसका निर्यात किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि देशों के निर्यातकों द्वारा उक्त वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

8. **क्षति :**—क्षति से संबंधित विभिन्न मापदण्ड जैसे समग्र रूप से आयातों की मात्रा बाजार हिस्सा, संबद्ध देशों से आयात कीमत तथा घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न संकेतक जैसे बिक्री, स्टाक आदि सामूहिक और संचयी रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को वित्तीय क्षति हुई है ।

9. **पाटनरोधी जांच की शुरुआत :**—पूर्वगामी पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी उक्त देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं ।

10. **जांच-अवधि :**—वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच-अवधि 1 अप्रैल, 1996 से 30 जून 97 तक की है ।

11. **सूचना का प्रस्तुतीकरण :**—उक्त देशों में ज्ञात संबंधित निर्यातकों और भारत में ज्ञात संबंधित आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित विधि से संगत सूचना ताकि अपने विचार निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अपर सचिव भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत करें । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित विधि से जांच से संबंधित अपनी सूचना भेज सकती है ।

12. **समय-सीमा :**—वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से चालीस दिनों के भीतर पहुंच जाए । परन्तु ज्ञात निर्यातकों और आयातकों जिन्हें अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं, को उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तिथि से चालीस दिनों के भीतर यह सूचना भेजना आवश्यक है ।

13. नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी निर्धारित समयावधि बीत जाने पर सरकारी मिसिल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय रूपान्तरण होते हैं ।

14. यदि कोई पार्टी पहुंचने से मना करती है अथवा अन्यथा वह उचित अवधि में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करती है अथवा जांच कार्य में अत्यधिक अड़चन डालती है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है ।

रश्मि विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

MINISTRY OF COMMERCE

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 1998

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning import of Black and White Resin Coated *Photographic Paper other than type setting paper from U.K. and France*

25/1/97-A.D.D.—M/s. New India Industries Ltd. filed a petition, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs, Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Black and White Resin Coated Photographic

Paper other than type setting paper from U.K. and France (hereinafter referred to as subject countries) and requested for anti dumping investigation and levy of anti dumping duties.

2. **Domestic Industry Standing :** The petition has been filed by M/s New India Industries Ltd. having registered office at Jetalpur Road, P. Box No. 2511, Sayaji Gunj, Baroda-390005. The petitioner account for approx. 82% of the total domestic production. Therefore, the petitioner satisfy the standing to file the petition on behalf of the domestic industry.

3. **Product Involved :** The product involved in the present investigation is Black and White Resin Coated Photographic Paper other than type setting paper (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from said countries classified under custom sub-heading 3703.10 and 3703.90 of the Customs Tariff Act. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

4. **Like Articles :** The petitioner has claimed that the goods exported from said countries and the goods produced by the petitioner are being consumed interchangeably and, therefore, be treated as like articles to the goods imported from said countries within the meaning of the Rules.

5. **Normal Value :**

(a) U.K. : The petitioner has claimed Normal Value based on local prices of the subject goods as per price list available.

(b) France : The petitioner has claimed the same Normal Value on the basis of evidence submitted in respect of U.K. as both countries are part of European Union.

6. **Export Price :** The petitioner has claimed export price on the basis of invoices of the exporter.

7. **Dumping Margin :** There is sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the price at which this has been exported to India, indicating, prima facie, that the goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

8. **Injury :** Various parameters relating to injury such as quantum of imports in absolute terms, market share, import price from subject countries and various indicators affecting domestic industry such as sales, stock etc. indicate collectively and cumulatively that domestic industry has suffered material injury.

9. **Initiation of Anti-dumping Investigation :** The Authority, in view of the foregoing paragraph, initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from said countries.

10. **Period of Investigation :** The period of investigation for the purpose of present investigations is 1st April 1996 to 30th June 1997.

11. **Submission of Information :** The exporters in the said countries and importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to Smt. Rathi Vinay Jha, Designated Authority and Additional Secretary, Government of India, Ministry of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. **Time Limit :** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days a from the date of letter addressed to them separately.

13. In terms of Rule 6 (7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties after expiry of time limit set out.

14. In case where any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VIJNAY JHA, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998